भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3660

दिनांक 10.08.2021/ 19 श्रावण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में मारे गए अर्धसैनिक बलों के कार्मिक

3660 श्री गोपाल शेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 370 और 35क का निरसन करने से पहले जम्मू और कश्मीर में अर्ध सैनिक बलों और अन्य के कुल कितने कार्मिकों को मारा गया/घातक हमला किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा मृतक व्यक्तियों/परिवार के सदस्य को क्षतिपूर्ति की कितनी राशि प्रदान कि गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): जम्मू और कश्मीर सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के समय से (वर्ष 1989 से 5 अगस्त, 2019 तक), जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 5886 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए थे।

(ख): निकटतम संबंधियों (एनओके) को अनुग्रह राहत संबंधित सुरक्षा बलों के वर्तमान नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिये जाने वाले स्वीकार्य लाभों का ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में दिया गया है।

******

लोक सभा अता. प्र. सं. 3660 दिनांक 10.08.2021

अनुलग्नक-I

सैनिकों (सेना के जवानों) (घातक युद्ध में हताहत) के निकटतम संबंधियों (एनओके) को दिये जाने वाले लाभों/मुआवजे का ब्यौरा

I. केंद्र सरकार से मिलने वाला एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा :-

(i) कर्तव्य पथ पर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु- 25.00 लाख रुपये

(ii) आतंकवादियों द्वारा हिंसा की वारदातों आदि के कारण कर्तव्य पथ पर होने वाली मृत्यु- 25.00 लाख रुपये

(iii) युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई झड़पों अथवा उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु- 35.00 लाख रुपये

(iv) प्राकृतिक आपदाओं, मुश्किल मौसमी हालातों के कारण निर्धारित अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, दुर्गम सीमा चौकियों आदि में ड्यूटी के दौरान होने वाली मृत्यु- 35.00 लाख रुपये

(v) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अथवा विशेष रूप से अधिसूचित इस प्रकार के युद्ध जैसे अभियानों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु- 45.00 लाख रुपये

(vi) सेना युद्ध हताहत कल्याण निधि से युद्ध में हताहत (बीसी) हुए सैनिकों के लिए अतिरिक्त अनुग्रह राशि- 2.00 लाख रुपये।

II. युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के निकटतम संबंधियों (एनओके) को दिये जाने वाले अन्य आर्थिक लाभों का ब्यौरा :-

(i) युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के लिए लागू उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, जो मृतक व्यक्ति द्वारा आहरित अंतिम परिलब्धियों के बराबर होती है।

(ii) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), जो मृतक व्यक्ति द्वारा पूरी की गई सेवा अवधि और उसके द्वारा आहरित अंतिम परिलब्धियों पर आधारित होती है।

(iii) सेना सामूहिक बीमा निधि :-

क. अधिकारी- 75.00 लाख रुपये

ख. जेसीओ/अन्य रैंक- 40.00 लाख रुपये

(iv) सेना सामूहिक बीमा मैच्युरिटी, जो मृतक सेना कर्मियों द्वारा किए गए अंशदान पर आधारित होती है।

(v) सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि, जो मृतक सेना कर्मियों द्वारा किए गए अंशदान पर आधारित होती है।

(vi) सेना पत्नी कल्याण संघ निधि:-

क. अधिकारी- 15,000/- रुपये

ख. जेसीओ/अन्य रैंक- 15,000/- रुपये

(vii) सेना केंद्रीय कल्याण निधि - 2,50,000/- रुपये

(viii) मृत्यु संबद्ध बीमा योजना- 60,000/- रुपये

III. अन्य लाभ :-

(i) शिक्षा रियायत कार्ड

(ii) हवाई यात्रा रियायत कार्ड

(iii) टेलीफोन रियायत

(iv) निकटतम संबंधियों की पात्रता और योग्यता के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

लोक सभा अता. प्र. सं. 3660 दिनांक 10.08.2021

अनुलग्नक-।।

कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दिये जाने वाले लाभ

(i) **केंद्रीय अनुग्रह राशि**: सीएपीएफ और असम राइफल्स के मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को केंद्रीय अनुग्रह राशि के रूप में दी जाने वाली एकमुश्त क्षतिपूर्ति की राशि, दिनांक 01/01/2016 से सक्रिय ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये और ड्यूटी पर मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, जैसा भी मामला हो, कर दी गई है।

(ii) **असाधारण पेंशन:** मृत कार्मिकों के निकटतम संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के तहत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (अर्थात अंतिम आहरित वेतन) प्राप्त करने के पात्र हैं।

(iii) **सेवा संबंधी लाभ:** सभी सेवा संबंधी लाभ यथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि स्वीकार्य हैं।

(iv) **बल स्तर की कल्याणकारी योजनाएं:** प्रत्येक बल ने कर्मचारियों/जवानों के लिए बल स्तर की कल्याणकारी योजनाएं विकसित/तैयार की हैं जैसे कि हितकारी निधि, शिक्षा हेतु बच्चों को वित्तीय सहायता/छात्रवृत्ति और पुत्री/बहन के विवाह आदि के लिए वित्तीय सहायता।

(v) **'भारत के वीर' से निधि:** 'भारत के वीर' एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां लोग अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीएपीएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को स्वेच्छा से दान दे सकते हैं। यह अंशदान सीधे निकटतम संबंधियों के खाते में ऑनलाइन जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 'भारत के वीर' कॉर्पस में प्राप्त निधियों को भी ऐसे कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के बीच बांटा जाता है।

(vi) **'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र':** कार्रवाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीएपीएफ कार्मिकों को सशस्त्र बलों को प्रदान किये जाने वाले 'बैटल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र' की तर्ज पर 'ऑपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण-पत्र' मिलता है। निकटतम संबंधी रक्षा कार्मिकों के 'बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र' से नवाजे जाने पर उनके निकटतम संबंधियों को मिलने वाले लाभों की तर्ज पर कुछ लाभ यथा हवाई और रेल यात्रा भाड़े में छूट और तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन आदि के भी पात्र हैं।

(vii) **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस):** पीएमएसएस के अंतर्गत, सेवारत/भूतपूर्व सीएपीएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कार्मिकों के आश्रितों को बालिकाओं के लिए 2250/- रुपये प्रति माह और बालकों के लिए 2000/- रुपये प्रति माह की राशि जारी की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से छात्रवृत्ति की राशि अब बालकों के लिए 2000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500/- रुपये प्रति माह और बालिकाओं के लिए 2250/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रति माह कर दी गई है।

(viii) **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुग्रह मुआवजे का प्रावधान:** कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी निकटतम संबंधियों को अपने नियमों के अनुसार मुआवजा/सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।

लोक सभा अता. प्र. सं. 3660 दिनांक 10.08.2021

अनुलग्नक-III

हिंसा/उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए जम्मू और कश्मीर पुलिस के कार्मिकों तथा एसपीओ के निकटतम संबंधियों (एनओके) को दिए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**मुआवजा**	**पुलिस कार्मिक**	**एसपीओ**
1.	विशेष कल्याण संबंधी (अंशदायी निधि)	20.00 लाख रुपये	5.00 लाख रुपये
2.	अनुग्रह राहत (जम्मू और कश्मीर बजट/एसआरई)	38.00 लाख रुपये	17.50 लाख रुपये
3.	अतिरिक्त अनुग्रह राहत (गृह मंत्रालय)	7.00 लाख रुपये	--
4.	जनता बीमा	10.00 लाख रुपये	10.00 लाख रुपये
5.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	--	2.00 लाख रुपये
	कुल	**75.00 लाख रुपये**	**34.50 लाख रुपये**

****